भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 198
दिनांक 02 **फरवरी**, 2023

डीलरों का कमीशन

†198. **श्री राजमोहन उन्नीथन**:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)/तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) अपूर्व चन्द्र समिति द्वारा संस्तुत पेट्रोलियम डीलर लाभ में आवधिक वृद्धि को कार्यान्वित कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले वर्ष ओएमसी पेट्रोलियम डीलरों के लिए डीलर कमीशन में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क)से(ग): अपूर्वा चंद्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ओएमसीज को पेट्रोल और डीजल पर डीलरों के मार्जिन को बढ़ाने की सलाह दी थी।

सरकार द्वारा क्रमशः दिनांक 26.06.2010 और 19.10.2014 से पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को बाजार निर्धारित बना दिया गया है। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अपने अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यों, विनिमय दर, कर संरचना, अंतरदेशीय भाड़ा और अन्य लागत घटकों के अनुरुप पेट्रोल और डीजल के मूल्यों पर उचित निर्णय लेते है।

तदनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को डीलरों के मार्जिन को बढ़ाने के लिए स्वयं अधिकृत किया गया है। तदुपरांत, ओएमसीज द्वारा समय-समय पर पेट्रोल और डीजल के लिए डीलरों के मार्जिन को उपयुक्त रुप से बढ़ाया गया है।

****